न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 02 / 2023

अनवान : –

1. गोपीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अग्रवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जकिर हुसैन पुत्र जमालदीन जाति दमामी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. मनोज खां पुत्र जमालदीन जाति दमामी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
3. बली मोहम्मद पुत्र खुशी मोहम्म्द जाति दमामी साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
4. भगवन्ती पत्नी मेहरचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. नरेश कुमार पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. भागीरथ पुत्र जयलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. मंगतुराम पुत्र ईशरदास जाति कामड़िया साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
8. मेहरचन्द पुत्र रामलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राधेश्याम पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. मोहनलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा।
11. काशीराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा।
12. रूपराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा।
13. रामप्रताप पत्रु शेराराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा।
14. साहबराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पिलीबंगा।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
16. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 07/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 119 / 93 की कुल 26.7180 हैक्ट भूमि में से 2.0240 हैक्ट भूमि एवं 0.7590 हैक्ट भूमि सायल द्वारा समस्त प्रतिफल देकर कय की गई है एवं मौके पर सायल द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान जमाबंदी ऑनलाईन करते समय 2.284 हैक्ट भूमि सायल के नाम दर्ज दी अर्थात 0.08 बिस्वा भूमि कम दर्ज हो गयी एवं वर्तमान में सायल के कब्ज काश्त में 2.783 हैक्ट भूमि है। इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि में से 0.08 बिस्वा भूमि कम करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल के नाम वाद भूमि ज्यादा दर्ज होने से वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ताफैसला दावा उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 119 / 93 की कुल 26.7180 हैक्ट भूमि मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 ता 2 उक्त वाद भूमि रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 8 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सभी पक्षकारान अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज है। मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे। सायल द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण अप्रार्थीगण के खातेदारी हको का हनन हो रहा है एवं केसीसी आदि से वंचित है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको की घोषणा एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 119/93 की कुल 26.7180 हैक्ट भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल का कथन है कि उक्त वाद भूमि में से 2.783 हैक्ट भूमि सायल की खरीद की गई है लेकिन जमाबंदी में 2.284 हैक्ट भूमि ही दर्ज हुई है एवं अप्रार्थीगण के नाम ज्यादा दर्ज हुई है अगर अप्रार्थीगण बेचान करते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। जमाबंदी एवं बैयनामे के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः बेचान हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण का कथन है कि हम वाद भूमि को बेचान नही करना चाहते है उक्त स्थगन के कारण केसीसी नही बन रही है अतः अप्रार्थीगण को बेचान हेतु पाबन्द किया जावे एवं केसीसी की अनुमति दी जावे। उक्त कथन के विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामाल अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है क्योंकि केसीसी लेने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 119/93 की कुल 26.7180 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष बेचान करने से निषिद्ध रहे एवं उक्त स्थगन केसीसी पर लागू नही होगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर